कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

Tel. no.-06341-223812, 8986915300
E-mail- rwdsheikhpura20@gmail.com

पत्रांक 1602 / शेखपुरा, दिनांक 07/10/2024 /

प्रेषक,

ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

श्री शशांक शेखर (संवेदक),
मुहल्ला–अमोला कॉलोनी,
छोटी दौलतपुर, मुंगेर रोड, जमालपुर,
जिला–मुंगेर। पिन–811214, मो0 नं0–8709430990.

विषयः– शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या–16(SBD)/2018-19 के तहत अनुरक्षणाधीन पथ **आर्च पुल के निकट से कुसुम्भा बेलदरिया पथ** में मरम्मति कार्य करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक कहना है कि शीर्ष–MMGSY योजनान्तर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ **आर्च पुल के निकट से कुसुम्भा बेलदरिया पथ** का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह अक्टूबर 2024 मे BRRMS App के माध्यम से किया गया, एवं निरीक्षणोपरान्त पथ को "U" (Unsatisfactory) श्रेणी में रखा गया है। निरीक्षण में पाया गया कि पथ का उपरी सतह (Bitumen Layer) कुछ पथांश में क्षत–विछत हो गया है, एवं पुल–पुलिया का पारापेट दीवाल रंग–रोगन कराने तथा पथ के दोनो किनारे झाड़ी को साफ कराने की आवश्यता प्रतीत हुई है एवं Cement Concrete Pavement दो हिस्सों में फटकर अलग हो गया है, जिसे मरम्मत किया जाने की अतिआवश्यकता है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। आपके द्वारा किये गए एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कराना आपकी पूर्ण जबावदेही है।

अतः कार्यहित में निदेशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर सभी आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें, अन्यथा वाध्य होकर बिहार ठिकेदारी पंजीकरण नियम (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम–11 के आलोक में आपके निबंधन को काली सूची में डालने एवं निबंधन को निलबंन हेतु अनुशंसा भेजने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

7.10.24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा